उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)

(प्रथम संशोधन) नियमावली

2014

सरकारी गजट,उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(पिरिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 4 मार्च, 2014

फाल्गुन 13, 1935 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-6

संख्या 474/पांच-6-14-1082/87-टी०सी०

लखनऊ, 4 मार्च, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प०आ०-70

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2014

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2014 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, के नियम-3 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये

विद्यमान खण्ड (च) और (झ) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेगा, अर्थातः

स्तम्भ-1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(च) "परिवार का तात्पर्य"- (एक) सेवा के सदस्य का यथास्थिति पति या पत्नी और (दो) माता-पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित / तलाकशुदा / परिव्यक्त पुत्री, अविवाहित/ तलाकशुदा/ परिव्यक्त बहने, अवस्यक भाई, सौतेली माता	(च) "परिवार का तात्पर्य"- (एक) सेवा के सदस्य का यथास्थिति पति या पत्नी और (दो) माता-पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित / तलाकशुदा / परिव्यक्त पुत्री, अविवाहित/ तलाकशुदा/ परिव्यक्त बहने, अवस्यक भाई, सौतेली माता से है, जो सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित है और सामान्यतया सरकारी सेवक के साथ निवास कर रहे है, टिप्पणी-1, किसी परिवार के ऐसे सदस्यों, जिनकी उपचार आरम्भ होने के समय पर सभी स्रोतो से आय रू०-3500/- और रू०-3500/- प्रतिमाह की मूल पेंशन पर अनुमन्य मंहगाई के योग से अधिक न हो, को पूर्णतया आश्रित माना जाएगा। टिप्पणी-2 आश्रितों के लिए आयु

	सीमा निम्नवत होगीः- (1) पुत्र- सेवायोजित हो जाने या 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो। (2) पुत्री- सेवायोजित हो जाने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो। (3) ऐसा पुत्र जो मानसिक य शारीरिक स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त हो- जीवन पर्यन्त (4) तलाकशुदा/पति से परित्याजित/ विधवा आश्रित पुत्रियां और अविवाहित/ तलाकशुदा/ पति से परित्याजित विधवा आश्रित बहनें-जीवन पर्यन्त (5) अवस्यक भाई-वयस्कता प्राप्त करने तक।
(झ)	(झ) (एक) सरकारी चिकित्सालय का तात्पर्य राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे या किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से सहबद्ध चिकित्सालय से है, (दो) प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयो का तात्पर्य ऐसे चिकित्सालयों से है जिनसे सी.जी.एच.एस. (केन्द्रीयित सरकारी स्वास्थय सेवायें) की

		दरों के सम मूल्य पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा संविदा की गई है।	
नियम 4 का प्रतिस्थापन	3- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा दिया जाएगा, अर्थातः-		
	स्तम्भ-1 **विद्यमान खण्ड**		**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं की हकदारी	समस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे। सामान्यतः यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के स्थान पर उपलब्ध करायी जायेगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए पंजीकरण फभ्स और अन्य विहित	निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं की हकदारी	समस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे। सामान्यतः यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के स्थान पर उपलब्ध करायी जायेगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के

	फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जाएगी। आपात मामलों में यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो एम्बुलेंस भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।		लिए पंजीकरण फीस और अन्य विहित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जाएगी। आपात मामलों में यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो एम्बुलेंस भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

4- उक्त नियमावली में नियम-6 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उपनियमों के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा दिया जाएगा, अर्थातः-	नियम 6 का संशोधन

स्तम्भ-1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
(क) किसी लाभार्थी को निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब उसके द्वारा परिशिष्ट-क में दिये गये प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत एवं संख्यांकित स्वास्थ्य-पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा। इस पत्र पर लगे फोटो पर	(क) किसी लाभार्थी को निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब उसके द्वारा परिशिष्ट-क में दिये गये प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत एवं संख्यांकित स्वास्थ्य-पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा। इस पत्र पर लगे फोटो पर कार्यालय की मुहर इस प्रकार लगायी जायेगी कि फोटो और पत्र

कार्यालय की मुहर इस प्रकार लगायी जायेगी कि फोटो और पत्र दोनो पर मुहर आंशिक रूप से लगी हो। परन्तु किसी पेंशनभोगी व्यक्ति के लिए उसका पदनाम, तैनाती का स्थान, मूलवेतन और वेतनमान, उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु से पूर्व उसकी अन्तिम तैनाती के अनुसार हो, किन्तु स्वास्थ्य कार्ड उसके द्वारा पेंशन आहरित किये जाने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा।	दोनो पर मुहर आंशिक रूप से लगी हो। परन्तु किसी पेंशनभोगी व्यक्ति के लिए उसका पदनाम, तैनाती का स्थान, मूलवेतन और वेतनमान, उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु से पूर्व उसकी अन्तिम तैनाती के अनुसार होगा, किन्तु स्वास्थ्य कार्ड उसके द्वारा पेंशन आहरित किये जाने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा। सरकार भविष्य में स्वास्थय प्रमाण पत्र के स्थान पर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा पहचान पत्र (स्मार्ट कार्ड) चरणबद्ध रूप से जारी कर सकती है।
5- उक्त नियमावली में, नियम-7 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रखा दिया जाएगा, अर्थातः-	नियम 7 का संशोधन
स्तम्भ-1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
(क) किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में अंतरंग उपचार के मामले में सभी लाभार्थियों	(क) किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय में अंतरंग उपचार

को निम्नलिखित वास सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगीः-	के मामले में सभी लाभार्थियों को निम्नलिखित वास सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगीः-

क्र०	मूल वेतन+ग्रेड वेतन	वार्ड जिनके लिए लाभार्थी हकदार होगा	क्र०	मूल वेतन+ग्रेड वेतन	वार्ड जिनके लिए लाभार्थी हकदार होगा
1.	रू० 19000/- या अधिक	निजी या विशेष वार्ड	1.	रू० 19000/- या अधिक	निजी या विशेष वार्ड
2.	रू० 13000/- से अधिक और रू० 19000- से कम	सशुल्क वार्ड	2.	रू० 13000/- से अधिक और रू० 19000- से कम	सशुल्क वार्ड
3.	रू० 13000- से कम	सामान्य वार्ड	3.	रू० 13000- से कम	सामान्य वार्ड

परन्तु किसी पेंशनभोगी द्वारा आहरित अन्तिम मूलवेतन के हकदारी के अवधारण के लिए मूलवेतन माना जायेगा तथापि कोई पेंशनभोगी ऐसी सेवाओं से	परन्तु किसी पेंशनभोगी द्वारा आहरित अन्तिम मूलवेतन को हकदारी के अवधारण के लिए मूलवेतन माना जायेगा तथापि कोई पेंशनभोगी ऐसी सेवाओं से अनिम्नतर सेवाओ के लिए

अनिम्नतर सेवाओ के लिए हकदार होगा जो वह अपनी सेवानिवृत्त से ठीक पूर्व पाता रहा है। परन्तु अग्रतर यह भी कि किसी लाभार्थी के अनुरोध पर उसकी वास्तविक हकदारी से बेहतर वास सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की दशा में उसको अतिरिक्त व्यय स्वयं वहन करना होगा।	हकदार होगा जोकि वह अपनी सेवानिवृत्त से ठीक पूर्व पाता रहा हैः परन्तु अग्रतर यह भी कि किसी लाभार्थी के अनुरोध पर उसकी वास्तविक हकदारी से बेहतर वास सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की दशा में उसको अतिरिक्त व्यय स्वयं वहन करना होगा। टिप्पणी- प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में अंतरंग उपचार हेतु वार्ड की हकदारी के लिए मानदंड, मूलवेतन+ग्रेडवेतन की सीमाओं पर आधारित होगे जैसा कि ऐसे चिकित्सालयों मे भारत सरकार की सी०जी०एच०एस० दरों के अधीन आच्छादित सरकारी सेवकों पर लागू है।

<u>स्तम्भ-1</u>	स्तम्भ-2
विद्यमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम टिप्पणीः प्राधिकृत संवदिकृत चिकित्सालयों में अतरंग उपचार हेतु वार्ड की हकदारी के

		लिए मानदंड मूल वेतन ग्रेड वेतन की सीमाओं पर आधारित होगे जैसा कि एसे चिकित्सालयें में भारत सरकार की सी०जी०एच०एस० दरों के अधीन आच्छादित सरकारी सेवकों पर लागू है।	
नियम 10 का प्रतिस्थापन	6-उक्त नियमावली में, नीचे स्तभ-1 दिये गए विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तंभ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थात		
एम जी पी जी आई/ सी.एस. एम एम यू	<u>स्तम्भ-1</u> विद्यमान उपनियम 10- कोई लाभार्थी भुगतान करने पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में बिना संदर्भ के उपचार प्राप्त कर सकता है। चिकत्सिा परिचया या उपचार पर किया गया व्यय विहित रीति में दावे के प्रस्तुतीकरण पर पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा।	एम०जी० पी० जी०आई०/ के०जी० एम०यू०/ सरकारी चिक्त्सि सा महाविद्या लय मे उपचार	<u>स्तम्भ-2</u> एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 10- कोई लाभार्थी भुगतान करने पर संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के०जी०एम०यू० लखनऊ और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में बिना संदर्भ के बिना संदर्भ के उपचार प्राप्त कर सकता है। चिकित्सा परिचर्चा या उपचार पर किया गया व्यय विहित रीति में दावे के प्रस्तुतीकरण पर पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा।

			उपर्युक्त के अतिरिक्ति प्राधिकृत संवदिकृत चिक्तिसालयों मे संदर्भ के साथ भुगतान के प्रति उपचार प्राप्त किया जा सकता है। विहित नियमावली के अधीन चिकित्सकीय देख-रेख या उपचार पर उपगत व्यय हेतु दावा प्रस्तुत किये जाने पर पूर्णतया प्रतिपुरणीय होगा।
भाग तीन के दीर्घ शीर्षक का प्रतिस्थापन नियम 11 का प्रतिस्थापन	7-उक्त नियमावली में नियम-10 के पश्चात् विद्यमान दीर्घ शीर्षक भाग-तीन-पात्रा पर आपातकालीन स्थिति में उपचार और विशिष्ट उपयार" के स्थान पर दीर्घ शीर्षक " आपातकालीन स्थिति में और यात्रा के दौरान उपचार और 8- उक्त नियमावली में नीचे स्तंभ 1 में दिये गए विद्यमान नियम-11 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया गया जाएगा अर्थात-		
तात्कालिक आपात- कालीन एक	<u>स्तम्भ-1</u> विद्यमान उपनियम 11- किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या बाहर तात्कालिक/ आपात स्थिति में किसी निजी	<u>स्तम्भ-1</u> एतद्द्वारा प्रतिस्थापि नियम 11- किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या बाहर तात्कालिक/ आपात स्थिति में या यात्रा पर किसी निजी	

	चिक्तिसालय में उपचार प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी। उपचार की लागत राज्य के भीतर उपचार कराने की दशा में सेजय गांधी स्नातकोत्तर आयुविज्ञान संस्थान लखनऊ और राज्य से बाहर की दशा में आखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान नई दिल्ली के दरो पर प्रतिपूरणीय हाभी प्रतिबन्ध यह है कि-	चिकित्सालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय में उपचार प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी। उपचार की लागत राज्य के भीतर उपचार कराने की दशा में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान या राज्य से बाहर उपचार की दशा में अधीनस्त भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का राज्य में बाहर उपचार की दशा में स्पष्टीकृत भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की दरों पर प्रतिप्ररणीय यानी और पा्रधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों मे उपचार की समस्त एम०जी०एच०एस० की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी। प्रतिबन्ध यह है कि-
	<u>स्तम्भ-1</u> विद्यमान उपनियम	<u>स्तम्भ-2</u> एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(क) उपचारी चिकित्सक द्वारा आपात दशा प्रमाणित की जाय।	(क) उपचारी चिकित्सक द्वारा आपात दशा प्रमाणित की जाय।
	(ख) रोगी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथाशयय शीघ्र किन्तु उपचार प्रारम्भ होने के दिनांक	(ख) सेमी या उसके संबंधी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार प्रारम्भ होने के दिनांक से 30 दिनों

	से 30 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाय। (ग) आपात स्थिति में एयर एम्बुलंस पर होने वाले व्यय की धनराशि भी प्रतिपूरणीय होगी।	के भीतर सूचित कर दिया जाय। (ग) आपात स्थिति में एअर एम्बुलेन्स पर होने वाले व्यय की धनराशि भी प्रतिपूरणीय होगी।

9- उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ 1 में दिये गए विद्यमान निमय-12 के स्थान पर स्तरम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात	नियम 12 का प्रतिस्थापन

<u>स्तम्भ-1</u> विद्यमान उपनियम	<u>स्तम्भ-2</u> एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
12- कार्यालय कार्य से अन्य राज्यों को गये सरकारी सेवक संबंधित राज्य के सरकारी सेवक संबंधित राज्य के सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हफदार होंगे और उस पर उपगत हुआ वास्तविक व्यय पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा।	12- कार्यालय कार्य से या निजी कार्य के लिए यात्रा के दौरान अन्य राज्यों को गये सरकारी सेवक संबंधित और उपचार पाने के हकदार होंगे और उस पर उपगत हुआ वास्तविक व्यय पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा।
प्रतिबन्ध यह है कि चिकित्सा महाविद्यालयो संस्थानों या निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की दरों पर	प्रतिबन्ध यह चिकित्सा महाविद्यालय संस्थानों या निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार पर उपगत व्यय की, प्रतिपूर्ति,

होगी।	सी०जी०एच०एस० की दरों पर होगी कार्यालयीय यात्रा पर विदेश जाने वाले सरकारी सेवको से यह प्रत्याशा की जाती है कि वे यात्रा एवं स्वास्थ्य बीमा पालिसी प्रापत कर ले' जिससे कि आवश्यकता पडने की दशा में विदेश यात्रा के दौरान उन्हें चिकित्सकीय उपचार का लाभ मिल सके। यात्रा एवं स्वास्थ्य बीमा पालिसी के बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति यात्रा भत्ता देवक में टिकट के साथ की जा सकती है किन्तु किसी भी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा पृथक से किसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति यात्रा भत्ता देयक में टिकट के साथ की जा सकती है किन्तु किसी भी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा पृथक से किसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति नहीं देा जाएगी।
10-उक्त नियमावली में नियम-13 में नीचे स्तंभ-1 में दिये गए विद्यमान उपनियम (क) और (ख) के स्थापना पर स्तंभ-2 में दिये गये उपनियम रख दिया जायेगा अर्थात-	नियम 13 का संशोधन
<u>स्तम्भ-1</u>	<u>स्तम्भ-2</u>

विद्यमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
जटिल और गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए जिनके लिये सरकारी चिकित्सालय या संदर्भित करने वाली संस्थाओं में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नही है, संदर्भित करने वाली संस्था आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चकित्सक परिचर्या के लए सेमी को ऐसी निजी चिकित्सालय या संस्था को जिसे राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ही संदर्भित किया जा सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस प्रकार संदर्भित किसी रोगी को तात्कालिक/आपात स्थिति के कारण संदर्भित से भिन्न किसी अन्य चिकित्सालय में उपचार कराना पड़ता है, तो नियम-11 (ग) लागू नही होगा।	13(क)- जटिल और गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए सरकारी चिकित्सालय या संदर्भित करने वाली संस्थाओं में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है संदर्भित करने वाली संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष या सरकारी जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधक्षक या जिसे के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अन्यून श्रेणी के उपचार चिकित्सक द्वारा विशिष्ट उपचार और चिकित्सा परिस्थियों के लिए रोगी को निजी चिकित्सालय या संस्था के जिसे राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो संदर्भित किया जा सकता हैः (ख) ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था के उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या राज्य के भीतर उपचार के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विान संस्थान लखनऊ की दो या राज्यों के बाहर हुय उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों तक जो भी कम हो सीमित होगी। प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों को संदर्भित मामलों पर उपगत

	व्यय की प्रतिपूर्ति सी०जी०एच०एस० की दरों पर की जाएगी।

नियम 15 का संशोधन	11- उक्त नियमावली से नियम-15 में, नीचे स्तंभ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (ड.) और (झ) के स्थान पर स्तंभ-2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायंगें अर्थात-

<u>स्तम्भ-1</u> विद्यमान उपनियम	<u>स्तम्भ-2</u> एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ड.) किसी भी स्थिति में दूसरा अग्रिम तक तक स्वीकृत नही किया जायेगा जब तक कि पूर्ववर्ती अग्रिम समायोजित न कर लिया गया हो।	(ड.)-किसी रोग के निरन्तर उपचार की दशा में परिचारक चिकित्सक की सलाह और संस्तुति पर विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय अग्रिम की स्वीकृत अग्रिम को एक आशिक दावा प्रस्तुत करके समायोजित किया गया है।
(झ) यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने की पश्चात उपचार नही प्रारम्भ होता है तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नहीं की जाती है तो दण्डात्मक ब्याज भी आरोपित किया	(झ) यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात उपचार नही प्रारम्भ होता है तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नही की जाती है तो दण्डात्मक ब्याज भी आरोपित किया

<table>
<tr><td>जायेगा, जिसकी गणना चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के दिनांक से की जायेगी</td><td>जायेगा, जो भविष्य निधि पर लागत ब्याज की सामान्य दर से 2.5 प्रतिशत अधिक होगा।</td></tr>
<tr><td>नियम 10 का संशोधन</td><td colspan="2">12-उक्त नियमावली में नियम-19 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा अर्थातः-</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>स्तम्भ-1</u>

विद्यमान उपनियम

(क) तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम अधिकारी निम्नवत होगेः-

(एक) रू० 40000/- तक उपचारी या संदभकर्ता सरकारी चिकित्सालय/ आर्युवेदिक, युनानी और हौम्योपैथी सरकारी चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्साधिकारी / अधीक्षकः

(दो) रू० 40001/- से अधिक उपचारी या संदभकर्ता सरकारी चिकित्सालय का चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी/ जिला हौम्योपैथी चिकित्साधिकारी या क्षेत्रीय आर्युवेदिक एवं युनानी अधिकारी।</td><td><u>स्तम्भ-2</u>

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(क) तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम अधिकारी निम्नवत होगेः-

<table><tr><td>दावे की धनराशि</td><td>सक्षम प्राधिकारी</td></tr><tr><td>(एक) 50000/- तक</td><td>उपचारी या संदभकर्ता सरकारी चिकित्सालय/ आर्युवेदिक, युनानी और हौम्योपैथी सरकारी चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्साधिकारी / अधीक्षकः</td></tr></table></td></tr>
</table>

(तीन) किसी चिकित्सालयों में विशिष्ट उपचार हेतु संदर्भकर्ता संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम-13(क) में उपबन्धित है।	(दो) 50000/-से अधिक	उपचारी या संदभकर्ता सरकारी चिकित्सालय का चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी/ जिला हौम्योपैथी चिकित्साधिकारी या क्षेत्रीय आर्युवेदिक एवं युनानी अधिकारी।
	(तीन) चिकित्सालयों में निजी उपचार हेतु	नियम-13(क) में यथा उपबन्धित संदर्भकर्ता संस्था के चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी या आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा

13. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्ब-1 में दिये गये विद्यमान नियम-20 के स्थान पर नियम 20 स्तम्भ-2 दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात-	नियम 20 का प्रतिस्थापन

<table>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr>
<td>

<u>**स्तम्भ-1**</u>

विद्यमान उपनियम

उपचार हेतु प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होगेः-

(क) सरकारी सेवकों को लियेः-

रू० 1.00 लाख तक-कार्यालयाध्यक्ष

रू० 1.00 लाख से अधिक व 2.50 लाख तक-विभागाध्यक्ष

रू० 2.50 लाख से 5.00 लाख तक-सरकार का प्रशासकीय विभाग

रू0 5.50 लाख से अधिक-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लियेः-

रू0 1.00 लाख तक-सक्षम तकनीकी

</td>
<td>

<u>**स्तम्भ-2**</u>

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

स्वीकर्ता प्राधिकारी 20-उपचार हेतु प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निन्मवत होंगे-

कार्यरत/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिए-

<table>
<tr><td>दावे की धनराशि</td><td>स्वीकर्ता प्राधिकारी</td></tr>
<tr><td>रू0 2,00.000/-</td><td>कार्यालयाध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>रू0 2,00.000/- से अधिक रू0 5,00.000/- तक</td><td>विभागाध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>रू0 5,00.000/- से रू0 10,00.000/-</td><td>सरकार में प्रशासकीय विभाग</td></tr>
<tr><td>रू0 10,00.000/- से अधिक</td><td>वित्त विभाग के पूर्वानुमोदन और चिकित्सा एवं</td></tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>

परिक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष रू0 1.00 लाख से अधिक व रू0 5.00 लाख तक-सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात पेंशन आहरित करने वाल जनपद का कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से जिलाधिकारी रू0 5.00 लाख से अधिक- सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथामाध्यम प्रशासकीय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रशासकीय विभाग के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति एवं वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के पश्चात प्रशांसकीय विभाग।		स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के पश्चात् सरकार में प्रशासनिक विभाग।
14-उक्त नियमावली में, नियम-22 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (ग) और (घ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-		नियम 22 का संशोधन

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्‌यमान उपनियम	**एतद्द्‌वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
(ग) रोगी और परिचारक,यदि कोई हो, अपनी सरकारी यात्रा के हकदारी की सीमा तक अपने निवास से उपचार के स्थान तक निकटतम रेल मार्ग से जाने और वापस आने की ऐसी यात्रा हूतु भत्ता पाने का हकदार होगा, किन्तु वायुयान द्‌वारा यात्रा करने पर कोई दैनिक भत्ता अनुबन्ध नही होगा, भले ही लाभार्थी उसके हकदार हैं या था। (घ) जटिल बीमारी की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा परिचालक का लिखित संस्तुति पर सरकार वायुमान द्‌वारा यात्रा की अनुमति दे सकती है।	(ग) रोगी और परिचारक, यदि कोई हो, अपनी सरकारी यात्रा के हकदारी की सीमा तक अपने निवास से उपचार के स्थान तक निकटतम रेल मार्ग से जाने और वापस आने की ऐसी यात्रा हेतु भत्ता पाने का हकदार होगा। तथापि कोई दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। (घ) जटिल बीमारी की दशा में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की लिखित संस्तुति पर सरकार वायुयान द्‌वारा यात्रा की अनुमति दे सकती है। तथापि ऐसी यात्रा पर कोई दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

परिशिष्ट “ग” का प्रतिस्थापन	15-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी विद्‌यमान परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थातः-

स्तम्भ-1

विद्यमान परिशिष्ट

परिशिष्ट 'ग'

(भाग-पॉच-नियम-16 तथा 18 देखे)

सेवा में,

कार्यालयाध्यक्ष का नाम

विषयः चिकित्सा उपचार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

मैं ----------/मेरे पारिवारिक सदस्य (नाम) ----------ने ----------(बीमारी का नाम) के लिये ---------- (दिनांक) से ----------तक ----------(चिकित्सालयका नाम**)** में उपचार करवाया है। मैं निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रतिपूर्ति के लिये दावा प्रस्तुत कर रहा हूं।

1- उपचारी चिकित्सक/चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र।

2- उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एवं सत्यापित मूल नकद पर्ची(कैश मेमों),

बीजक (बिल) बाउचर।

3-यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित परिवारिक सदस्य मुझ पर पूर्णतया आश्रित है।

मेरे उपचारार्थ ---------- के पत्र संख्या ---------- दिनांक ---------- द्वारा स्वीकृत रू0---------- के अग्रिम का समयायोजन करने के पश्चात मेरे दावे की प्रतिपूर्ति के लिए यथा आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक----------

अधिकारी/कर्मचारी का नाम

पदनाम

तैनाती का स्थान

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'ग'

(भाग-पॉच-नियम-16 तथा 18 देखे)

सेवा में,

कार्यालयाध्यक्ष का नाम

विषयः चिकित्सा उपचार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

मै ---------- /मेरे पारिवारिक सदस्य (नाम) ----------ने ----------(बीमारी का नाम) के लिये ---------- (दिनांक) से ----------तक ----------(चिकित्सालयका नाम**)** में उपचार करवाया है। मैं निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रतिपूर्ति के लिये दावा प्रस्तुत कर रहा हूं।

1- उपचारी चिकित्सक/चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित/ प्रतिहस्ताक्षरित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र।

2- उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एवं सत्यापित मूल नकद पर्ची(कैश मेमों),

बीजक (बिल) बाउचर।

3-यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित परिवारिक सदस्य मुझ पर पूर्णतया आश्रित है।

मेरे उपचारार्थ ---------- के पत्र संख्या ---------- दिनांक ---------- द्वारा स्वीकृत रू0---------- के अग्रिम का समयायोजन करने के पश्चात मेरे दावे की प्रतिपूर्ति के लिए यथा आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक----------

अधिकारी/कर्मचारी का नाम

पदनाम

तैनाती का स्थान

आज्ञा से

प्रवीण कुमार,

प्रमुख सचिव